भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या:2525
13 फरवरी, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

स्वायत्त निकायों में तैनाती संबंधी नीति

2525. डॉ. धर्मवीर गांधी:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान विभिन्न कर्मचारी संघों, यूनियनों, सांसदों और मंत्रियों से मंत्रालय के अधीन विभिन्न स्वायत्त निकायों जैसे कि एम्स, पीजीआईएमईआर, जिपमेर, निमहंस, रिम्स, नेग्रिम्स आदि में पति-पत्नी के समान स्थानांतरण/तैनाती संबंधी नीति की मांग के संबंध में प्राप्त हुए ज्ञापनों की कुल संख्या कितनी है,
(ख) क्या इनमें से कुछ संस्थानों ने अपने अधिनियमों/नियमों/उप-नियमों में विशिष्ट प्रावधान न होने का हवाला देते हुए ऐसे अनुरोधों को खारिज कर दिया है, जबकि वे उन सामान्य भर्ती नियमों को लागू कर रहे हैं जिनका अधिनियमों में उल्लेख नहीं है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या इन निकायों के अधिनियमों/नियमों में यह प्रावधान है कि ऐसे मामलों में जो उनके अधिनियमों/नियमों के अंतर्गत कबर नहीं होते हैं, वहां भारत सरकार के नियम/दिशानिर्देश लागू होंगे और यदि हां, तो कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के पति-पत्नी स्थानांतरण संबंधी दिशानिर्देशों (कार्यालय ज्ञापन दिनांक 30.09.2009 और बाद के स्पष्टीकरण) को लागू न करने के क्या कारण हैं;
(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा की गई कार्रवाई सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,
(ङ) क्या इस संबंध में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग से परामर्श किया गया था, यदि हां, तो इसके परिणाम का ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
(च) क्या इस संबंध में समान दिशानिर्देश बनाए जाने का विचार है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (च): कर्मचारियों को पति/पत्नी के आधार पर एक स्वायत्तसाशी संस्थान से दूसरे स्वायत्त संस्थान में स्थानांतरित करने के संबंध में मंत्रालय को संदर्भ/अभिवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), जवाहरलाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (जिपमेर), स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (पीजीआईएमईआर), राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान (निम्हांस), उत्तर पूर्वी इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं आयुर्विज्ञान विज्ञान संस्थान (नीग्रिम्स) और क्षेत्रीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान (रिम्स), इम्फाल शामिल हैं। सभी स्वायत्त संस्थान अलग-अलग संस्थाएं हैं और कर्मचारियों को एक स्वायत्तसाशी संस्थान से दूसरे स्वायत्तसाशी संस्थान में स्थानांतरित करने का कोई प्रावधान नहीं है।
